



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

निर्माण खण्ड मेरठ-02,

आफिस कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-9, शास्त्री नगर, मेरठ

Email : upavpcd6@gmail.com

पत्रांक :-

/अधि0अभि0/नि0ख0 मेरठ-02/एस-1/ 37 दिनांक :-

अल्पकालीन कूटेशन आमंत्रण सूचना

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अनुभवी फर्मों से, एकल बिड पद्धति पर ई-कूटेशन <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार आमंत्रित की जाती है, जो उपस्थित कूटेशनदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-02, मेरठ के ऑफिस कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-9, शास्त्रीनगर, मेरठ स्थित कार्यालय में गठित समिति द्वारा निम्न विवरण के अनुसार ई-प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड/खोली जाएगी :-

क्र० सं०	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कूटेशन प्रोसेसिंग शुल्क + जी.एस.टी. (रु० में)	ठेकेदार की अई पंजीकृत श्रेणी	कूटेशन पद्धति	खण्ड का नाम
1	2	4	6	5	6	7	8
1	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ परिसर में निर्माणाधीन 5639.00 वर्ग मीटर फार्मसी भवन को ग्रीन बिल्डिंग नार्म्स के अनुसार निर्मित कराये जाने हेतु आवश्यक विषय सम्बन्धी कन्सल्टेन्सी एवं ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का कार्य।	0.30	12 माह	1,000.00 + GST 18 प्रतिशत	IGBC द्वारा ग्रीन बिल्डिंग हेतु सर्टिफाईड एजेन्सी	एकल बिड पद्धति	नि0खं0 मेरठ-02

शर्त :-

- कूटेशन प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS/Net Banking के माध्यम से कूटेशन में उल्लिखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निम्नानुसार है), कूटेशन निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	शाखा का नाम	खाता संख्या	आई0एफ0एस0सी0 कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ	यूनियन बैंक आफ इन्डिया	गढ़ रोड, शास्त्रीनगर, मेरठ	499102010037063	UBIN0549665

2. महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

क्र० सं०	विवरण	दिनांक	समय
1	कूटेशन प्रकाशन तिथि।	25.06.2024	05:00 P.M.
2	कूटेशन डाउनलोड/अपलोड/कूटेशन प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से करने की प्रारम्भ तिथि।	25.06.2024	05:00 P.M.
3	कूटेशन डाउनलोड/अपलोड/कूटेशन प्रोसेसिंग शुल्क एवं धरोहर धनराशि का भुगतान NEFT/RTGS/Net-Banking के माध्यम से करने की अन्तिम तिथि।	04.07.2024	05:00 P.M.
4	कूटेशन खोले जाने की तिथि।	05.07.2024	11:00 A.M.

- कूटेशन खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में कूटेशन अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- कूटेशन में परिषद द्वारा जिस कार्य के लिये कूटेशन आमंत्रित की गयी है फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु ऑफर दरें स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है।
- कूटेशनदाता/कूटेशनदाता फर्म को आयकर विभाग/जी0एस0टी0 जिसकी प्रमाणित प्रति कूटेशन के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- सभी देयकों से तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार आयकर एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। फर्म द्वारा दरें जी0एस0टी0 को छोड़ते हुये दिये जायेंगे। जी0एस0टी0 का भुगतान अलग से फर्म द्वारा जी0एस0टी0 Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त ही किया जायेगा।


7. सशर्त कूटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. उक्त ग्रीन बिल्डिंग निर्माण/प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित समस्त कार्य फार्मैसी भवन के निर्माण के साथ किया जाना प्रस्तावित है।
9. फर्म को अपने विशेषज्ञ द्वारा समय-समय पर स्थल का निरीक्षण एवं निर्माण से सम्बन्धित आख्या/सुझाव दिया जाना अनिवार्य होगा ताकि भवन का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग नार्म्स के अनुसार कराया जा सके।
10. उक्त कार्य हेतु आमन्त्रित दरें 03 माह हेतु मान्य होगी।
11. किसी भी कूटेशन अथवा समस्त कूटेशन को अपरिहार्य कारणवश निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगा।
12. कूटेशनदाता/कूटेशनदाता के कूटेशन स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित कूटेशनदाता/कूटेशनदाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों-असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं तो उससे किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी कूटेशनदाता/कूटेशनदाता/फर्म की होगी।
13. फर्म द्वारा स्थल पर किये जाने वाले निरीक्षण हेतु किसी प्रकार का कोई टी0ए0/डी0ए0 परिषद द्वारा देय नहीं होगा। कूटेशन में अंकित दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई अन्य व्यय का भुगतान परिषद द्वारा नहीं किया जायेगा एवं अन्य सभी व्यय फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे।
14. फर्म को ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन हेतु I.G.B.C.-A.P. से प्रमाणित होना आवश्यक है। फर्म द्वारा पूर्व में केन्द्रीय/स्थानीय निकायों में किसी भवन हेतु ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन पर कार्य कराये जाने का अनुभव होना आवश्यक है।
15. फर्म को ग्रीन बिल्डिंग नार्म्स के अनुसार निर्माण कार्य एवं सर्टिफिकेशन के कार्य हेतु न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
16. फर्म द्वारा अपनी कूटेशन में स्कोप ऑफ वर्क एवं वर्क स्ट्रेटजी प्लान सम्मिलित करना अतिआवश्यक है।
17. किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सेक्टर-9, शास्त्रीनगर, मेरठ में सम्पर्क कर सुविधा हेतु निर्माण स्थल का निरीक्षण किया जा सकता है।

(एस0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 :- 903 / उपरोक्तानुसार/
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

तद् दिनांक :- 25/06/24

1. निदेशक (म0), ग्लोबल कंस्ट्रक्शन एण्ड कंसल्टेंसी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलैक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता (म0), मेरठ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ।
3. इन्चार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-01/03/04, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मेरठ/सहारनपुर।
5. संगणक, निर्माण खण्ड मेरठ-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ।
6. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड मेरठ-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ।
7. सहायक लेखाधिकारी/कैशियर, निर्माण खण्ड मेरठ-02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ।
8. नोटिस बोर्ड।



अधिशासी अभियन्ता